रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2012/चैत्र 23, 1934
No. 167] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2012/CHAITRA 23, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 292(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

> "**6क. जब कोई वस्तु वैयक्तिक उपयोग के लिए दान में दी गई है तो वह विदेशी अभिदाय की कोटि में नहीं आएगी**--किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए दान में दी गई कोई वस्तु, ऐसे दान की तारीख को जिसका बाजार मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (5) के उपखंड (i) के अर्थ के अंतर्गत विदेशी अभिदाय नहीं होगी ।"

3. मूल नियम के नियम 15 के उपनियम (1) में, "बैंक के प्राधिकारियों" शब्दों के स्थान पर, "बैंक" शब्द रखा जाएगा ।

4. मूल नियम के नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"24. किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विदेशी अभिदाय के अंतरण के लिए प्रक्रिया--

(1) वह व्यक्ति, जिसे धारा 11 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुज्ञा स्वीकृत किया गया है, और वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के एक अंश को एक व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व-अनुज्ञा स्वीकृत नहीं है, विदेशी अभिदाय को उस सीमा तक अंतरित कर सकेगा, जो कि कुल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार को प्ररूप एफ.सी.-10 पर आवेदन करना होगा ।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित आशय का घोषणापत्र संलग्न होगा, कि,--

(क) राशि जो कि वित्तीय वर्ष में अंतरण के लिए प्रस्तावित है वह उस वित्तीय वर्ष में उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से कम है ;

(ख) अंतरणकर्ता विदेशी अभिदाय की किसी राशि को अंतरित नहीं कर सकता जब तक ऐसे अंतरण को केंद्रीय सरकार स्वीकृत नहीं करती है ।

(3) वह व्यक्ति, जिन्हें धारा 11 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुज्ञा स्वीकृत है, अपने द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के अन्य व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुज्ञा अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत है, को अंतरण के लिए जब तक कि प्राप्तकर्ता अधिनियम के किसी उपबंधों के उल्लंघन में अग्रसर नहीं होता है, केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है ।

(4) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ऐसे अंतरित विदेशी अभिदाय के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसे विदेशी अभिदाय का अंतरण अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के द्वारा प्ररूप एफ.सी.-6 पर प्रस्तुत विवरणियों में उपदर्शित होना आवश्यक है ।"।

[फा. सं. II/21022/10(1)/2010-एफ.सी.-3]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 349 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2012

G.S.R. 292(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

> "6A. **When articles gifted for personal use do not amount to foreign contribution.** - Any article gifted to a person for his personal use whose market value in India on the date of such gift does not exceed rupees twenty-five thousand shall not be a foreign contribution within the meaning of sub-clause (i) of clause (h) of sub-section (1) of section (2)."

3. In the principal rules, in rule 15, in sub-rule (1), for the words "banking authority", the word "bank" shall be substituted.

4. In the principal rules, for rule 24, the following rule shall be substituted, namely:-

"24. **Procedure for transferring foreign contribution to any unregistered person.** — (1) A person who has been granted a certificate of registration or prior

permission under section 11 and intends to transfer part of the foreign contribution received by him to a person who has not been granted a certificate of registration or prior permission under the Act, may transfer such foreign contribution to an extent not exceeding ten per cent of the total value thereof and for this purpose, make an application to the Central Government in Form FC-10.

(2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied by a declaration to the effect that

(a) the amount proposed to be transferred during the financial year is less than ten per cent of the total value of the foreign contribution received by him during the financial year;

(b) the transferor shall not transfer any amount of foreign contribution until the Central Government approves such transfer.

(3) A person who has been granted a certificate of registration or prior permission under section 11 shall not be required to seek the prior approval of the Central Government for transferring the foreign contribution received by him to another person who has been granted a certificate of registration or prior permission under the Act provided that the recipient has not been proceeded against under any of the provisions of the Act.

(4) Both the transferor and the recipient shall be responsible for ensuring proper utilisation of the foreign contribution so transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the returns in Form FC-6 to be submitted by both the transferor and the recipient.".

[F. No. II/21022/10(1)/2010-FC-III]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal rules, were published *vide* Notification No. GSR 349(E) dated 29th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054